फर्द अहकाम

मुकेश कुमार बनाम [illegible]

न्यायालय SDO II सांगानेर

संख्या 211/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 1 व 2 व 4 वा 4 पुत्र रविन्द्र सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस T.O. हेतु दि० 18/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	18/7/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/8/25 को पेश हों।	
	6/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना T.9 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना T.9 को स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय से जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थाई किए जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अतः उभय पक्षकारों को ता० फैसला डाला विवादित आराजी ख०नं० 494 वाके ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	